न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

ण संख्या 11 / 23 दायर दिनांक: 02.02.2023

ीएमएस नं. 2023 / 20

उनवान

मलेश पुत्री नत्थीलाल पत्नि वीरसिंह जाति जाटव निवासी रणधीरगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर निवासी अडौली तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज.।

—–वादिनी

बनाम

नत्थीलाल पुत्र मंगतूराम 2 बनैसिंह पुत्र नत्थीलाल जातियान जाटव निवासी रणधीरगढ तहसील भुसावर 3 ललिता पुत्री नत्थीलाल पत्नि देशराज 4 बविता पुत्री नत्थीलाल पत्नि थानसिंह जातियान जाटव निवासियान मरैड तहसील वैर 5 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :—

1 श्री हेमसिंह पाण्डेय —–वादिनी

2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी —–प्रति.

निर्णय दिनांक 27 / 05 / 2026

वादिनी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 285 रकवा 0.6200, 285 / 1468 रकवा 0.3400 किता 2 कुल रकवा 0.9600 हेक्टेयर में 1 / 3 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 309 रकवा 0. 8400 हेक्टेयर के सम्पूर्ण भाग का वाके ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे प्रतिवादी संख्या एक नत्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि मौके पर प्रतिवादी संख्या एक के नाम हो रही खातेदारी की आराजी मे वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 4 वाहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1 / 5, 1 / 5 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। और इसी प्रकार से राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादिनी एवं प्रतिवादीगण की हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक व खातेदारी की आराजी है, जो वादिनी एवं प्रतिवादीगण को अपने पूर्वज स्वर्गीय मंगतू से बाई बर्थ विरासत मे प्राप्त हुई है। जिस पर वादिनी व प्रतिवादीगण अपने बाबा / पिता स्वर्गीय मंगतू के जीवनकाल से ही काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी संख्या एक परिवार का कर्ता खानदान होने की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होता चला आ रहा है। जबकि मौके पर प्रतिवादी संख्या एक के नाम हो रही खातेदारी की आराजी मे वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 4 वाहिस्सा बराबर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। और वादिनी समय समय पर अपने हिस्से की आराजी को जोतने बोने के लिए आती रहती है। और इसी खातेदारी के इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण ने आपस मे कौलूजन करते हुए वादिनी को उसके हिस्से की आराजी से महरूम करने के इरादे से प्रतिवादी संख्या एक के नाम हो रही आराजी से दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण को पैत्रिक आराजी को खुर्द बुर्द करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनाक 02.01.2022 को वादिनी अपने हिस्से की आराजी मे बोई गई फसल को देखने के लिए ग्राम रणधीरगढ आई, तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गये, और आते ही वादिनी को धमकी दी कि आज के बाद इस आराजी पर आई, तो तेरे हाथ पैरो को तोड देगे, और हम तो इस आराजी को दीगर व्यक्तियो के लिए

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

ाय व मुन्तकिल करके रहेगे, और तुझे आज के बाद आराजी पर काश्त भी नही करने देगे। और तुझे ी से बेदखल कर महरूम कर देंगे। अतः वादिनी अपने हिस्से की आराजी की खातेदारी की घोषणा ाने की अधिकारी है।

वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 यत 4 वाहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस ताईद मे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा पेश ा। कई अवसर के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः उनका जवाब बन्द किया गया।

वादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र विमलेश द्वारा पेश किया गया। उनके ान लेखबद्ध कराये गये।

वादिनी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2075–78, प्रदर्श–2 माबन्दी संवत 2075–78, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2056–59, प्रदर्श–4 नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये ये।

हमने बहस पर वादिनी अधिवक्ता को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादिनी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 285 रकवा 0.6200, 285/1468 रकवा 0.3400 हेक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 309 रकवा 0.8400 हेक्टेयर वाके ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 वाहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

ण संख्याः 11/23 दायर दिनांकः 02.02.2023
ीएमएस नं. 2023/20

उनवान

वेमलेश पुत्री नत्थीलाल पत्नि वीरसिंह जाति जाटव निवासी रणधीरगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर न निवासी अडौली तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज.।

––वादिनी

बनाम

नत्थीलाल पुत्र मंगतूराम 2 बनैसिंह पुत्र नत्थीलाल जातियान जाटव निवासी रणधीरगढ तहसील भुसावर 3 ललिता पुत्री नत्थीलाल पत्नि देशराज 4 बविता पुत्री नत्थीलाल पत्नि थानसिंह जातियान जाटव निवासियान उमरैड तहसील वैर 5 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री हेमसिंह पाण्डेय ––वादिनी
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ––प्रति.

डिक्री दिनांक 27/05/2026

तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 285 रकवा 0.6200, 285/1468 रकवा 0.3400 हेक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 309 रकवा 0.8400 हेक्टेयर वाके ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 वाहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०